



**DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)**

Ref. No. : RMLAU/ADMIN/2021/ 562

DATE: 06 September, 2021

**CORRIGENDUM REGARDING ADVERTISEMENT FOR TEACHING / NON TEACHING  
CONTRACTUAL POSTS VIDE Notification No.: RMLAU/ADMIN/2021/504  
DATE 12 August, 2021 ADVERTISEMENT FOR SELF FINANCE (CONTRACTUAL) TEACHING  
(University Campus & Constituent Colleges)/NON TEACHING (Constituent Colleges) POSTS**

In reference to the above cited advertisements, it is for the information of all concerned that the selection procedure will take place as per directives (Ref. No. ई-5862/जी0एस0 दिनांक 03 सितम्बर, 2021) issued by office of the Hon'ble Governor.

Registrar

राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश  
लखनऊ-226027

पत्रांक : ई- 5862 / जी0एस0  
दिनांक : 03, सितम्बर, 2021

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति,  
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,  
लखनऊ।

महोदय,

विश्वविद्यालयों के विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में पारदर्शिता के बारे में मा0 कुलाधिपति के आदेश दिनांक 18 मई, 2021 तथा दिनांक 02 जुलाई, 2021 के बारे में कृपया अपने पत्र संख्या:अ0क0प्रा0वि0/कुप0का0/2021/11957, दिनांक 02 सितम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र में आपके द्वारा निम्न बिन्दु पर मार्गदर्शन मांगा गया है:-

"..... सहायक आचार्य/सह आचार्य एवं आचार्य अन्तिम चयन :

- "प्रथम चरण-{Basic Academic Score एवं API+लिखित परीक्षा (100+40)/Basic Academic Score एवं API}" तथा "द्वितीय चरण-साक्षात्कार", के दोनों चरणों के अंकों के योग के आधार पर किया जाना है।

अथवा

- केवल "द्वितीय चरण-साक्षात्कार" के आधार पर ही किया जाना है एवं "प्रथम चरण-{Basic Academic Score एवं API+लिखित परीक्षा (100+40)/Basic Academic Score एवं API}" Shortlisting हेतु होगा।"

उपरोक्त जिज्ञासा के कम में निम्नवत् स्थिति स्पष्ट की जाती है:-

1. आदेश दिनांक 02 जुलाई, 2021 में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि सहायक आचार्य/सह आचार्य एवं आचार्य के पद पर चयन की प्रक्रिया के दो चरण होंगे। प्रथम चरण शार्टलिस्टिंग का होगा और दूसरा चरण साक्षात्कार का होगा।

2. पत्र दिनांक 02 जुलाई, 2021 के बिन्दु संख्या-अ के 2, 3 व 4 की व्यवस्था के अनुसार सहायक आचार्य के सन्दर्भ में शार्टलिस्टिंग की प्रक्रिया 140 अंकों के आधार पर होगी। शार्टलिस्टिंग के बारे में आदेश दिनांक 18.05.2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पारदर्शिता की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों का शिक्षण कौशल की जानकारी (कम्प्यूटर पर कार्य करने की जानकारी तथा कक्षा के समक्ष प्रस्तुतीकरण) 20 अंकों की तथा साक्षात्कार 10 अंकों का सम्पन्न कराया जायेगा और इस प्रकार 30 अंकों के आधार पर साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पन्न करते हुए इन्हीं 30 अंकों पर आधारित परिणाम घोषित किया जायेगा। इसमें शार्टलिस्टिंग के लिए निर्धारित 140 अंक नहीं जोड़े जायेंगे।
3. पत्र दिनांक 02 जुलाई, 2021 के बिन्दु संख्या-ब के 2, 3 व 4 की व्यवस्था के अनुसार सह आचार्य एवं आचार्य के सन्दर्भ में शार्टलिस्टिंग की प्रक्रिया सम्पन्न होगी। शार्टलिस्टिंग के बारे में आदेश दिनांक 18.05.2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पारदर्शिता की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 20 अंकों का सम्पन्न कराया जायेगा और इस प्रकार 20 अंकों के आधार पर साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पन्न करते हुए इन्हीं 20 अंकों पर आधारित परिणाम घोषित किया जायेगा। इसमें शार्टलिस्टिंग के लिए निर्धारित अंक नहीं जोड़े जायेंगे।


भवदीय,



( महेश कुमार गुप्ता )

अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल।

प्रतिलिपि कुलपतिगण, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, निदेशक, संजय गांधी स्नात्कोत्तर नान संस्थान, लखनऊ/निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को सूचनार्थ एवं क कार्यवाही हेतु प्रेषित।



( डा0 पंकज एल0 जानी )

विशेष कार्याधिकारी, शिक्षा श्री राज्यपाल।